25-2-2019

पत्रावली मूल निगरानी प्रकरण के साथ साथ पेश हुई। प्रार्थी केसाराम पुत्र श्री तलकाराम, जाति- लखारा, निवासी- दांतराई, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, दांतराई के अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित। प्रार्थी के वकील ने बहस करने हेतु समय चाहते हुए किरायानामा की मूल प्रति मंगवाने का आग्रह किया एवं मूल निगरानी प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किरायानामा की मूल प्रति मंगवाने का अनुरोध किया। चूंकि प्रार्थी के अधिवक्ता को पूर्व में स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करने हेतु समय दिया जा चुका है। अत: प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के वकील ने मूल किरायानामा मंगवाये जाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के वकील ने बहस के दौरान स्थगन प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों व मौके के फोटोग्राफस की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी को केबिन रखने हेतु 9x9 वर्गफीट भूमि किराये पर दी गई थी, जिस पर प्रार्थी केबिन रखकर केबिन में महादेव कंगन स्टोर्स के नाम से चुडिया विक्रय करता है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा केबिन भूमि में विद्युत कनेक्शन हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है तथा न ही प्रार्थी को पूरे परिसर की भूमि किराये पर दी गई है। प्रार्थी द्वारा पूरे परिसर की भूमि का किराया कभी भी ग्राम पंचायत में जमा नही करवाया गया है तथा उक्त

....लगातार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	केबिन भूमि का किराया भी प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में समय पर अदा नही किया जा रहा है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी को केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई 9x9 वर्गफीट केबिन भूमि के चारों तरफ की 16.5x16 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण कर मौके पर दो पक्की दुकानों का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया जिस पर ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी को केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई भूमि से बेदखल नही किया जा रहा है, बल्कि प्रार्थी द्वारा उक्त केबिन भूमि की आड में मौके पर 9x9 वर्गफीट भूमि से ज्यादा भूमि पर पक्का निर्माण कर किये गये अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी ने मौके पर उक्त केबिन भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाया है व प्रार्थी इस न्यायालय के स्थगन आदेश की आड में मौके पर अब भी निर्माण कार्य करवा रहा है, इसलिये प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी केसाराम पुत्र तलकाराम, जाति- लखारा, निवासी- दांतराई के विरुद्ध स्थगन आदेश एवं नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.दां./2018-19/118 दिनांक 09.12.2018 को इस आशय का जारी किया गया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम दांतराई के बस स्टेण्ड पर पंचायत की आबादी भूमि में पक्का निर्माण कराया जाकर अतिक्रमण किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोककर अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं इस भूमि की मालिकी के संबंध में यदि कोई दस्तावेज/साक्ष्य या निर्माण से संबंधित सक्षम स्वीकृति हो तो नोटिस प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर पंचायत कार्यालय में पेश करे तथा यदि उक्त भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य है तो पंचायत से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य शुरु करे। इस संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटोग्रफस का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई केबिन भूमि के अलावा प्रार्थी द्वारा मौके पर केबिन के चारों तरफ की .....लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 01/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण कर पक्की दुकान का निर्माण करवाया जा रहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि को अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दी जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के अर्न्तगत अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दी गई भूमि पर पक्का निर्माण नही किया जा सकता है, लेकिन प्रार्थी द्वारा केबिन भूमि के चारों तरफ की भूमि पर अतिक्रमण कर मौके पर पक्की दुकान का निर्माण किया जाना मौके के फोटोग्राफस के अवलोकन से स्प्ष्ट होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा केबिन भूमि पर निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई हो अथवा उक्त केबिन भूमि से अधिक भूमि जिस पर प्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करवाया गया है वह प्रार्थी के पट्टे स्वामित्व की हो। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है। अतः प्रकरण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.1.2019 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 25.02.19 (आशाराम डूडी) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही	